

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15816/2025

Om Prakash Poonia @ Vikas S/o Ramkumar, Aged About 38 Years, R/o Kishanpura, Police Station Sadar Fatehpur District Sikar (At Present Accused Petitioner Is Confined In District Jail Sikar)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. T.L. Pandey
For Respondent(s) : Ms. Arti Sharma, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

09/02/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना सदर फतेहपुर, जिला-सीकर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 125/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 8/29, 15 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का तर्क है कि उसे प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्त से प्रकरण में किसी प्रकार के मादक-पदार्थ की कोई बरामदगी नहीं हुई है, जो बरामदगी बताई गई है, वह रेखाराम जाट के खेत पर बने कमरे से होना बताई गई है और रेखाराम जाट इस प्रकरण में अभियुक्त भी नहीं है। उनका तर्क है कि पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा फर्द जब्ती में यह अंकित किया है कि उन्हें डोडा पोस्ट होने की सूचना मिली थी और जो माल जब्त किया गया है कि वह डोडा पोस्ट था, परंतु तोला गया माल गांजा होना अंकित है। इससे भी स्पष्ट है कि सारी कार्यवाही थाने में बैठकर मिथ्या रूप से की गई है। उनका तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्त को गिरफ्तार करने से पूर्व उसे धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई नोटिस

नहीं दिया गया और न ही धारा 52 एनडीपीएस एक्ट की आज्ञापक शर्तों की कोई पालना ही की गई है। उनका तर्क है कि जिस स्थान से बरामदगी बताई गई है, उस स्थान की तलाशी बिना वारण्ट के रात के तीन बजे की गई है और जिस वक्त बरामदगी करना बताया गया है, उस वक्त प्रार्थी-अभियुक्त वहां उपस्थित भी नहीं था। उनका तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि उसकी गिरफ्तारी का स्थल थाना-परिसर होना फर्द गिरफ्तारी में अंकित है।

उनका तर्क है कि अनुसंधान के दौरान पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त की गई है और जिस खेत पर बने कमरे से मादक-पदार्थ बरामद होना बताया है, पटवारी ने वह खेत रेखाराम जाट और दस अन्य खातेदारों का होना बताया है, जिसमें प्रार्थी-अभियुक्त का नाम नहीं है। उनका तर्क है कि पटवारी ने भी अपनी रिपोर्ट में गांजा बरामद होना कहा है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में तथाकथित मादक-पदार्थ दिनांक 20.06.2025 को जब्त किया गया है, जबकि इसे एफएसएल में परीक्षण हेतु लगभग चार महीने की अवधि के बाद दिनांक 16.10.2025 को भिजवाया गया है। उनका तर्क है कि एफएसएल के लिए नमूने को इतने विलम्ब से भेजना भी जमानत का आधार बनता है। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने निम्न न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किया है—

1. S.B. Criminal Misc. II Bail App. No. 12854/2025 Sharif Khan V/S State of Raj. order passed by Raj. High Court on Dated 31-10-2025

उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी को केवल सहअभियुक्त के कथन के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है, जो विधि-विरुद्ध है। प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण भी संस्थित नहीं है। प्रार्थी दिनांक 20.06.2025 से अभिरक्षा में है। प्रकरण में आरोप-पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रकरण में यह सूचना मिली थी कि जिस स्थान से मादक-पदार्थ बरामद हुआ है, वहां मादक-पदार्थ प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा छुपाया गया है। उनका तर्क है कि उक्त संबंध में प्रार्थी-अभियुक्त की सहअभियुक्तगण से की गई वार्तालाप के कॉल विवरण पत्रावली पर उपलब्ध है। उनका यह भी तर्क है कि जिस रेखाराम जाट के खेत पर बने कमरे से मादक-पदार्थ बरामद किया जाना बताया गया है, वह प्रार्थी-अभियुक्त का ससुर है। उनका तर्क है कि

प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा ही अपने ससुर रेखाराम जाट के खेत पर उक्त 79.79 किलोग्राम गांजा मादक-पदार्थ, जो कि व्यावसायिक मात्रा से काफी अधिक है, छुपाया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध गम्भीर अपराध का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए और धारा 37 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों को देखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षकारों के तर्क-वितर्क पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही प्रार्थी-अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ विकास कुमार द्वारा अवैध मादक-पदार्थ बैचने का कार्य करने की सूचना मिलना अंकित है और जिस स्थान पर मादक-पदार्थ मिलने की आशंका बताई गई थी, उसी स्थान से बिना लाइसेंस का वाणिज्यिक मात्रा से अधिक का मादक-पदार्थ (79.79 किलो गांजा) बरामद हुआ है। अनुसंधान में यह आया है कि उक्त मादक-पदार्थ प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त मनोज कुमार से खरीदा गया था और मनोज कुमार और प्रार्थी-अभियुक्त के बीच रुपयों के लेन-देन के स्थान का नक्शा भी मनोज कुमार की सूचना पर बनाया गया है। अन्वेषण के काल में यह भी पाया गया है कि जिस खेत में बने कमरे में उक्त मादक-पदार्थ जब्त हुआ है, उस खेत की सार-संभाल प्रार्थी-अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ विकास कुमार ही करता है, जो कि खातेदार रेखाराम का दामाद है। प्रकरण में प्रार्थी-अभियुक्त की विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या अपराध बनना पाया गया और उसके विरुद्ध धारा 8/29, 15 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 का आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण मादक-पदार्थ गांजे की बरामदगी, जो कि वाणिज्यिक मात्रा से अधिक होने से संबंधित है। अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J